# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही

(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड आर.ए.एस.)

**आवेदक**

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

**बनाम**

**प्रतिवादी/अभियुक्त**

1. महेन्द्र रावल पुत्र स्व. श्री बालुराम रावल, जाति- रावल, निवासी- रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

फर्म:-रावल बालुराम जयशंकरजी, रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोहीरोड,पिण्डवाडा, जिला-सिरोही

2. प्रकाश कुमार माली पुत्र देवाराम जी, निवासी- कोलीवाडा रोड, खेडा देवी मन्दिर नेहर के पास, सुमेरपुर, जिला- पाली

फर्म:- हिमांशु ट्रेडर्स, चौधरी कॉलोनी, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला- पाली

3- Anoop Kumar Dalmia

फर्म:- M/s GANGA Agro Industries, Kalpipara Bhinga Road, Kalpipara, Bahraich, Uttar Pradesh-271801

**प्रकरण संख्या: 07/2022**

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

**उपस्थिति:**

1. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः महेन्द्र रावल व प्रकाश कुमार माली
2. श्री सजन मित्तल, अधिकृत प्रतिनिधि प्रतिवादी फर्म गंगा एग्रो इण्डस्ट्रीज

**-: निर्णय :-** **दिनांक 11 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 13.2.2021 को दौराने गश्त समय 02.15 पी.एम. पर फर्म रावल बालुराम जयशंकरजी, रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से महेन्द्र रावल पुत्र श्री बालुराम रावल, जाति- रावल, निवासी- रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले RICE (White Gold Brand) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर फर्श पर बिक्री हेतु मौजूद RICE (White Gold Brand) के 3 पैक्ड बेग (प्रत्येक 25 किलो ग्राम) में से RICE (White Gold Brand) [illegible] पैक्ड बेग को खोलकर बेग में मौजूद चावलों को अच्छी तरह [illegible] एक रुप किये हुए RICE (White Gold Brand) में से [illegible] किलो RICE (White Gold Brand)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:40 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

को एक साफ, सूखे एवं खाली भिगोने में खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 140/- रुपये अदा की एवं खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म संख्या 5ए तैयार कर, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर किये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1363, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा RICE (White Gold Brand) को चार साफ, सूखे एवं खाली जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना जार पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना जार के साथ खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) का मूल लेबल लगाकर टेप से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1363 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र रावल व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.2.2021 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्रापत की तथा दिनांक 13.2.2021 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता [illegible] से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) का नमूना S-1363 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। [illegible] मूल कागजात मय

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला [illegible]
सिरोही-307001

गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन के साथे अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) RICE (White Gold Brand) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अत: प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-1 व 2 क्रमश: महेन्द्र रावल व प्रकाश कुमार माली उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या-3 की ओर से गंगा एग्रो इण्डस्ट्रीज के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सजन मितल उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या-3 के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सजन मितल ने संयुक्त रुप से लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया।

(3) प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 02.3.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण की ओर से उक्तानुसार लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 02.3.2022 को ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को व प्रतिवादी संख्या-3 के अधिकृत प्रतिनिधि को सुना गया। जिन्होनें अपना जुर्म स्वीकार कर भविष्य में ऐसी गलती नही करने एवं कम से कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

(4) हमनें न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 13.2.2021 को 2.15 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म रावल बालुराम जयशंकरजी, रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म रावल बालुराम जयशंकर जी, रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से रावल बालुराम जयशंकरजी, रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोहीरोड,पिण्डवाडा, जिला-सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म रावल बालुराम जयशंकरजी, रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) के अमानक स्तर का शक [illegible] अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उप[illegible] श्री सिद्धार्थ तोमर, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा [illegible] खाद्य कारोबारकर्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:40 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार पर

सिरोही-307001

महेन्द्र रावल को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान के अन्दर फर्श पर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) के 3 पैक्ड बेग (प्रत्येक 25 किलोग्राम) में से RICE (White Gold Brand) के एक पैक्ड बेग को खोलकर बैग में मौजूद चावलों को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया व इस एकरुप किये RICE (White Gold Brand) में से 4 किलोग्राम RICE (White Gold Brand) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 140/- (अक्षरे रुपये एक सौ चालीस हजार मात्र) नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र रावल, गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-1363, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र रावल व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने RICE (White Gold Brand) के खरीदशुदा चारों पैक्ड पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं एक नमूना भाग के साथ RICE (White Gold Brand) के मूल लेवल को साथ रखकर चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1363 को नियमानुसार गोंद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता महेन्द्र रावल, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म रावल बालुराम जयशंकरजी, रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता महेन्द्र रावल से खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने RICE (White Gold Brand) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर- 6 की दो-[illegible] रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अ[illegible]ांक 15.2.2021 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 क[illegible] बॉय, कार्यालय

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला [illegible]
सिरोही-307001.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 13.2.2021 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) के नमूना संख्या S-1363 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./125/Act/2021/223 दिनांक 24.2.2021** के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म रावल बालुराम जयशंकरजी, रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता महेन्द्र रावल से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) का नमूना S-1363 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2019/501-04 दिनांक 10.3.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी महेन्द्र रावल तथा निर्माता फर्म गंगा एग्रो इण्डस्ट्रीज को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी महेन्द्र रावल की फर्म रावल बाबुल जयशंकर द्वारा RICE (White Gold Brand) के 25 किलोग्राम के पैक्ड बेग को फर्म हिमांशु ट्रेर्ड, चौधरी कॉलोनी, भैरु चौक, सुमेरपुर से बिल नम्बर 915 दिनांक 25.11.2020 से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या-2 की फर्म है। प्रतिवादी संख्या- 2 (प्रकाश कुमार माली) की फर्म हिमांशु ट्रेडर्स, चौधरी कॉलोनी, भैरु चौक, सुमेरपुर द्वारा फर्म GANGA AGRO INDUSTRIES, Kalpipara Bhinga Road, Bahraich से क्रय किये थे, जो खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी महेन्द्र रावल पुत्र श्री बालुराम रावल, जाति- रावल, निवासी- रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म रावल बालुराम जयशंकरजी, रेल्वे स्टेशन रोड, सिरोही रोड, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर [illegible] 5,0[illegible] पांच हजार मात्र) एवं प्रतिवादी प्रकाश कुमार माली पुत्र देवाराम [illegible] निवासी कोलीवाडा रोड, खेडा देवी मन्दिर नेहर के पास, सुमेरपुर, जिला- [illegible] कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:40 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
सिरोही-307001.

हिमांशु ट्रेडर्स, चौधरी कॉलोनी, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला- पाली पर राशि रुपये 10,000/- (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) तथा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ RICE (White Gold Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु GANGA AGRO INDUSTRIES, Kalpipara Bhinga Road, Kalpipara, Bahraich (Uttar Pradesh) पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को आदेशित किया जाता है कि उन पर अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:12:40 IST
Reason: SelfAttested